



इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या - 45217 वर्ष 2025

मदन लाल

.....आवेदक(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....प्रत्यर्थी(गण)

आवेदक(गण) के अधिवक्ता : देवेन्द्र सिंह, विमल कुमार पाल

प्रत्यर्थी(गण) के अधिवक्ता : शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 68

माननीय न्यायमूर्ति आशुतोष श्रीवास्तव

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता श्री वी.के. पाल तथा राज्य-प्रत्यर्थीगण की ओर से विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता श्री पी.के. सिंह को सुना तथा अभिलेख का अवलोकन किया।

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 483 के अन्तर्गत यह जमानत आवेदन अभियुक्त-आवेदक मदन लाल की ओर से मुकदमा अपराध संख्या 396 वर्ष 2025, धारा 191(2), 191(3), 190, 115(2), 109(1), 121(1), 132 भारतीय न्याय संहिता, 2023, धारा 3 सार्वजनिक सम्पत्ति क्षति निवारण अधिनियम तथा धारा 7 आपराधिक विधि संशोधन अधिनियम, थाना महुआखेड़ा, जनपद अलीगढ़ में जमानत पर रिहा किए जाने की प्रार्थना करते हुए प्रस्तुत किया गया है।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क प्रस्तुत किया कि अभियुक्त-आवेदक निर्दोष है। उसे उक्त मुकदमा अपराध संख्या में झूठा फँसाया गया है तथा वह 01.11.2025 से कारागार में निरुद्ध है। आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने यह भी प्रस्तुत किया कि समान परिस्थितियों वाले सह-अभियुक्त जितेन्द्र @ विजेन्द्र को इस न्यायालय द्वारा दिनांक 08.01.2026 को आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या 44847 वर्ष 2025 में जमानत प्रदान की जा चुकी है। आवेदक के न्यायिक प्रक्रिया

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



से पलायन करने अथवा साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ करने की कोई संभावना नहीं है। अतः जमानत प्रदान किए जाने की प्रार्थना की गई है।

इसके विपरीत विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने आवेदक की जमानत प्रार्थना का विरोध किया, किन्तु यह भी स्वीकार किया कि समान परिस्थितियों वाले उपरोक्त सह-अभियुक्त को इस न्यायालय द्वारा जमानत प्रदान की जा चुकी है।

उपर्युक्त समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों, आरोपों की प्रकृति, दोषसिद्धि की दशा में दण्ड की गंभीरता, समर्थन में उपलब्ध साक्ष्य की प्रकृति, साक्षियों के साथ छेड़छाड़ किए जाने की युक्तियुक्त आशंका तथा प्रथम दृष्टया प्रकरण को दृष्टिगत रखते हुए, किन्तु प्रकरण के गुण-दोष पर कोई टिप्पणी किए बिना, न्यायालय की राय में यह जमानत प्रदान किए जाने योग्य प्रकरण है।

अतः वर्तमान जमानत आवेदन **स्वीकार** किया जाता है।

अभियुक्त-आवेदक मदन लाल, जो उपर्युक्त मुकदमा अपराध संख्या में संलिप्त है, को सम्बन्धित न्यायालय की संतुष्टि के अधीन समान धनराशि के व्यक्तिगत बन्धपत्र तथा दो विश्वसनीय प्रतिभूतियाँ प्रस्तुत करने पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन जमानत पर रिहा किया जाए :-

1. आवेदक साक्ष्यों के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करेगा।
2. आवेदक किसी भी प्रकार की आपराधिक गतिविधि में संलिप्त नहीं होगा।
3. आवेदक अभियोजन साक्षियों को किसी प्रकार का दबाव अथवा भय प्रदर्शित नहीं करेगा तथा विचारण में सहयोग करेगा।
4. आवेदक विचारण न्यायालय द्वारा नियत प्रत्येक तिथि पर नियमित रूप से उपस्थित रहेगा, जब तक कि सम्बन्धित न्यायालय द्वारा अधिवक्ता के माध्यम से उसकी व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट प्रदान न कर दी जाए।

उपर्युक्त किसी भी शर्त के उल्लंघन की दशा में, अधीनस्थ न्यायालय को उसकी जमानत निरस्त करने की कार्यवाही करने की स्वतंत्रता होगी।

(न्यायमूर्ति आशुतोष श्रीवास्तव)

12 जनवरी, 2026

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



सुमैरा

Translated Version. Not for Legal Use.

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय. का मूल संस्करण ही मान्य होगा।